न्यायालय अपर समाहर्त्ता, रोहतास (सासाराम)

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद सं0–34/2019

रेनु देवी बनाम अंचल अधिकारी तिलौथू, पारसनाथ सिंह

आदेश

15.2.21.

प्रस्तुत रिविजन वाद श्रीमती रेनु देवी पति–राजनाथ सिंह, ग्राम दुधमी टोला दतौली, पो0–हुरका, थाना–इन्द्रपुरी, जिला–रोहतास द्वारा विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता डिहरी द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0–70/18–19 में पारित आदेश दिनांक 29.07.2019 के विरूद्ध दाखिल किया है, जिसमें अंचल अधिकारी तिलौथू के साथ श्री पारस सिंह पिता–स्व0 मोती सिंह, ग्राम–दुधमी टोला दतौली, पो0–हुरका, थाना–इन्द्रपुरी, जिला–रोहतास को प्रतिपक्षी बनाया है, जिसमें वादगत भूमि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

वादगत भूमि का विवरण

अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा
तिलौथू	दुधमी/254	45	3	43½डी0

वद को विचारण हेतु स्वीकृत करते हुए संबद्ध पक्षों को सूचना निर्गत कर निम्न न्यायालय के अभिलेख को उल्लेखवद्ध किया गया। संबद्ध पक्ष उपस्थित होकर अपना पत्युतर विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल किया। इस वाद में अंचल अधिकारी तिलौथू को OP-1 बनाया गया है जिसके प्रत्युतर की आवश्यकता नहीं है।

वाद आवेदन एवं आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने अभिवनच में उल्लेख किया कि वादगत भूमि उन्हें निबंधित बिक्री पत्र सं0–14906 दिनांक 17.11.2016 से कमला सिंह पे0 स्व0 सुर्दशन सिंह ग्राम+पो0 हुरका थाना–तिलौथू से उचित जवसेमन भुगतान के पश्चात् प्राप्त हुआ जिसका अंचल अधिकारी, तिलौथू के नामांतरण वाद सं0–913/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2017 से नामांतरण होकर लगान रसीद कटता आ रहा है जिस पर आवेदिका का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। इसी क्रम में प्रतिपक्षी सं0–02 पारस सिंह ने उक्त बिक्री से प्राप्त जायदाद को हासिल करने के लिए हकसफा वाद सं0–05/16–17 दाखिल किया। हकसफा वाद सं0–05/16–17 के भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता डिहरी के न्यायालय में विचारण के दरम्यान आवेदिका के बिक्रेता कमल सिंह ने O.P -2 की हैसियत से शपथ पत्र दिनांक 21.06.2013 दाखिल कर उल्लेख किया कि वादगत भूमि को उन्होने आवेदिका (Revesionist) को बिक्री करने के पूर्व पारस सिंह (रिविजन–OP2) को खरीदने के लिए कहा था उन्होनें उस समय नहीं खरीदा था।

हकसफा वाद सं0–05/16–17 में विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता डिहरी ने दिनांक 09.02.2018 अंतिम आदेश पारित करते हुए प्रस्तुत क्रेता/आवेदिका (Revesionist) को जो हकसफा वाद में उत्तरवादी सं0–02 को पारस सिंह के पक्ष वसीका करने को कहा। उक्त आदेश दिनांक 09.02.2018 के विरूद्ध रिविजनकर्त्ता द्वारा हकसफा अपील सं0–01/2018 दाखिल किया गया, जो अपीलीय न्यायालय में विचाराधीन था। इसी बीच बिहार भूमि सुधार संशोधन अधिनियम 2019 संबंधित अधिसूचना दिनांक 25.02.2019 के आलोक में हकसफा वाद

15/2/21.

से संबंधित धारा 16(3) को उपशमित कर दिया गया। अतएव हकसफा वाद में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के कोर्ट का आदेश Finality स्वरूप नहीं प्राप्त कर सका। परंतु विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ने बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1961 की धारा 16(3) को रद्द करने संबंधित अधिसूचना दिनांक 25.02.2019 को नजर अंदाज करने हुए पूर्व में पारित हकसफा आदेश दिनांक 09.02.2018 को आधार मानकर दिनांक 29.07.2019 को अंचल अधिकारी तिलौथू के नामांतरण आदेश दिनांक 20.03.2017 को विखंडित कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में बिहार दाखिल खारिज अधिनियम एक्ट 2011 के धारा 6(9) के तहत् बिक्रय विलेख सं0–14906 दिनांक 17.11.2016 के आधार पर प्रश्नगत भूमि का रिविजन आवेदिका के पक्ष में दाखिल खारिज का आदेश पारित किया जाना विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता से विधि की अपेक्षा भी जिसे नहीं कर आदेश पारित किया गया है, जो विखंडन योग्य है।

प्रतिपक्षी सं0–02 द्वारा दाखिल खारिज प्रत्युतर एवं उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने अभिवचन में उल्लेखित किया कि विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता न्यायालय द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0–70/18–19 में पारित आदेश दिनांक 29.07.2019 विधिसम्मत है जो दखल कब्जा के आधार पर किया गया है। अंचल अधिकारी तिलौथू का नामांतरण वाद सं0–913/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2017 त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अंचल अधिकारी द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण नहीं कर कथित केवाला को दखल कब्जा का आधार मानकर नामांतरण कर दियां रिविजन आवेदिका/केता के बिक्रेता श्री कमला सिंह द्वारा O.P-2 को प्रश्नगत जमीन को बेचने की बात कर जरसेमन की पुरी इसी बीच रिविजन आवेदिका के प्रभाव में आकर कामला सिंह ने केवाला कर दिया जिसके विरूद्ध दाखिल हकसफा वाद सं0–05/16–17 में दिनांक 09.02.2018 को विपक्षी–2 के पक्ष आदेश पारित हुआ साथ ही विपक्षी के पक्ष में वसीका निष्पादित करने का आदेश रिविजन आवेदिका को हुआ। तदुपरांत हकसफा वाद 05/16–17 के आदेश के विरूद्ध दाखिल अपील वाद सं0–01/2018 के विचारण/लंबित रहने के दौरान ही Bihar Land Reform Act 1961 में दिनांक 25.02.2019 को संशोधन अधिसूचना द्वारा धारा 16(3) को उपशमित कर दिया गया। O.P 2 द्वारा अभीतक कोषागार से निबंधित केवाला के विरूद्ध जमा राशि की निकासी नहीं की गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रिविजनकर्ता के नाम से केवाला बैनामा Act up on नहीं हुआ तथा प्रश्नगत भूमि पर उन्हें कोई हक अधिकार के दखल कब्जा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। भूमि से संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी डिहरी के न्यायालय में U/S 144 Crpc के तहत् कायम वाद में भी प्रतिपक्षी के दखल कब्जा को माना गया। रिविजनकर्ता को नामांतरण अपीलीय न्यायालय के आदेश का सम्मान कर अंचल अधिकारी तिलौथू के द्वारा की जाने वाले विचारण में अपना पक्ष दखल चाहिए था। स्पष्टतः यह मामला अभी अंचल अधिकारी तिलौथू के समक्ष लंबित है। इन्ही तथ्यों के आधार पर रिविजन आवेदन को अस्वीकृत करते हुए अपीलीय न्यायालय के आदेश सम्पुष्ट करने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

निष्कर्ष एवं आदेश :– उभयपक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं का अभिवचन सूना एवं दाखिल दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

उपरोक्त दाखिल साक्ष्यों से स्पष्ट है कि रिविजनकर्ता का प्राप्त Registered Sale Deed सं0 14906 दिनांक 17.11.2016 के विरूद्ध अभी किसी न्यायालय में कोई वाद लंबित नहीं है। वादगत निबंधित दस्तावेज के विरूद्ध भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता डिहरी न्यायालय द्वारा U/S 16(3) of Bihar Land Reform Act 1961 के तहत् पारित आदेश दिनांक 09.02.2018 के विरूद्ध कायम अपील वाद राजस्व विभागीय अधिसूचना द्वारा उपशमित हो गया। अतः भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता डिहरी का आदेश दिनांक 09.02.2018 Act Upon नहीं होनें एवं

अपील वाद उपशमित हो जाने के कारण विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा हकसफा वाद सं0–05/16–17 में पारित आदेश अंतिम रूप से न्याय निर्णित नहीं माना जा सकता है। नामांतरण अपील वाद 70/18–19 में इन तथ्यों की अनदेखी कर विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता डिहरी ने गंभीर चुक की है।

साथ ही Not Finally adjudicated आदेश के आधार पर वगैर Registered Deed के नामांतरण अपील वाद में निष्कर्ष का प्रतिस्थापन करते हुए अचंल अधिकारी तिलौथू के नामांतरण वाद सं0–913/16–17 के आदेश दिनांक 20.03.2017 को विखंडित करना विधिसम्मत नहीं है।

उपरोक्त विवेचनाओं एवं निष्कर्षो के आधार पर विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा नामांतरण अपील वाद सं0–70/18–19 में पारित आदेश दिनांक 29.07.2019 को विखंडित किया जाता है।

आदेश सभी पक्षों को दिखला दी जाए। आदेश प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
रोहतास (सासाराम)।

अपर समाहर्त्ता,
रोहतास (सासाराम)।

ज्ञापांक- 103 रा० दिनांक 15/2/21

प्रतिलिपि:- भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, डिहरी को पारित आदेश के साथ निम्न० न्यायालय नामांतरण अपील वाद संख्या-70/18-19 पारस सिंह बनाम अंचल अधिकारी तिलौथू का मूल अभिलेख सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अंचल अधिकारी तिलौथू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (N.I.C) रोहतास सासाराम को आदेश की प्रति जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता
रोहतास सासाराम